न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/140 दायरा दिनांक : 29.11.2021

उनवान

सोहन आयु 70 वर्ष पुत्र श्री रतना, जाति गूर्जर, निवासी रारोती, तहसील बारां, जिला बारां राज0
.... अपीलांट

बनाम

1 मोहन आयु 72 वर्ष पुत्र रतना, जाति गूर्जर
2 सन्जू आयु 38 वर्ष पुत्र श्री मदन, जाति गूर्जर
निवासी रारोती, तहसील बारां, जिला बारां राज0
3 किसकिन्धा आयु 35 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री प्रहलाद, जाति गूर्जर, निवासी रारोती हाल निवासी बाबजी नगर, बारां, तहसील व जिला बारां
4 सावित्री आयु 32 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री धनराज, जाति गूर्जर, निवासी रारोती हाल निवासी मारवाडा बस्ती, बारां, तहसील व जिला बारां
5 मुकलेश आयु 30 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री मनीष, जाति गूर्जर, निवासी रारोती हाल निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां
6 कैलाशबाई आयु 65 वर्ष बेवा मदनलाल, जाति गूर्जर, निवासी रारोती, तहसील बारां, जिला बारां राज0 .... रेस्पोडेंट
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां राज0

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री सुरेन्द्र मीणा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 6 की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.02.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 102/2013 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रारोती, तहसील बारां में खाता संख्या नया 196 पुराना 198 से खसरा नं. 502 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 579 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नं. 891/199 रकबा 1.74 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 2.08 हैक्टर तथा खाता नं. नया 195 पुराना 197 से खसरा नं. 746 रकबा 3.75 हैक्टर स्थित है। इस प्रकार दोनों खातों की कुल आराजी 5.83 हैक्टर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री से मुताबिक तहसीलदार बारां के विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	ग्राम
1	सोहन पुत्र रतना, जाति गूर्जर सा0 रारौती	746 (पू.)	1.25	नहरी 3	26.25	रारौती
		502 (पू.)	0.03	खेड़ा	0.51	रारौती
		579 (पू.)	0.08	नहरी 2	2.24	रारौती
		मि. 891/199 (उ. प.)	0.58	नहरी 1	20.88	रारौती
		किता–4	1.94	–	49.88	

जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने रेस्पो० क्रम 1 ता 7 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद धारा 53 व 188 का प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 19.07.2013 को निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.07.2013 पारित करते हुये आदेश दिया है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम रारोती, तहसील बांरा खसरा नं. 502 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 579 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नं. 891/199 रकबा 1.74 हैक्टर कुल 3 किता रकबा 2.08 हैक्टर एवं ग्राम रारोती खसरा नं. 746 रकबा 3. 75 हैक्टर कुल 5.83 हैक्टर में वादी सोहन पुत्र रतना, जाति गूर्जर हिस्सा 1/3, प्रतिवादी कम 2 मोहन पुत्र रतना, जाति गूर्जर हिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादीगण कम 2 ता 6 के हिस्सा 1/3 अनुरूप बंटवारा कर पृथक पृथक खाते दर्ज करने एवं पृथक लगान निर्धारण के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का उनके कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा कर बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित करें । उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.07.2013 की पालना में दिनांक 11.06.2015 को राजस्व शिविर लोक अदालत ग्राम पंचायत सम्बलपुर में बिना पक्षकारान को सुने पटवार मण्डल सम्बलपुर द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 पारित की गयी है। अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 के मुताबिक खसरा नं0 746 रकबा 3.75 हेक्टर का बंटवारा करते हुये अपीलान्ट सोहन पुत्र रतना, जाति गूर्जर को खसरा नं. 746 का पूर्वी हिस्सा 1.25 हेक्टर व रेस्पो० कम 1 को खसरा नं. 746 हेक्टर का मध्य का 1.25 हेक्टर व रेस्पो० कम 2 ता 6 को खसरा नं. 746 का पश्चिमी हिस्सा 1.25 हेक्टर दिया गया है जो मौके पर कब्जा काश्त अनुसार गलत अंकित किया गया है। जबकि मौके पर खसरा नं. 746 रकबा 3.75 हेक्टर में वाद के पक्षकार वादी/अपी० सोहन दक्षिणी ओर के हिस्से 1.25 हैक्टर, रेस्पो०/प्रतिवादी कम 1 मध्य के हिस्से 1.25 हैक्टर व रेस्पो०/प्रतिवादी कम 2 ता 6 उत्तरी हिस्से 1.25 हैक्टर पर काबिज काश्त है तथा वाद के पक्षकारान अपीलान्ट व रेस्पो0 कम 1 ता 6 द्वारा दिनांक 29.06.2020 को उक्त खसरा नम्बर 746 वाके माल रारोती की पैमाइश पटवारी हल्का रारोती द्वारा हिस्से अनुसार करवाने पर प्रथम बार जानकारी में आया कि पटवार मण्डल सम्बलपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.06.2015 में खसरा नं. 746 का बंटवारा पक्षकारों के मध्य त्रुटिपूर्ण रूप से मौके पर जाये बिना गलत तौर पर कर दिया गया है जिसको अपी०/वादी एवं रेस्पो०/प्रतिवादीगण अंतिम डिक्री दिनांकित 11.06.2015 में निरस्त करवाकर खसरा नं० 746 कर पुनः बंटवारा करवा पाने के अधिकारी है। पटवार हल्का सम्बलपुर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 11.06.2015 विवादित आराजियात की मौका स्थिति देखे बिना राजस्व शिविर लोक अदालत ग्राम सम्बलपुर में प्रस्तुत किया गया है एवं खसरा नं. 746 रकबा 3.75 हैक्टर वाके ग्राम रारोती का बंटवारा पक्षकारान/ अपी0 व रेस्पो कम 1 ता 6 के कब्जे काश्त के आधार पर न करते हुये सरसंरी तौर पर नक्शे में उत्तर से दक्षिण होने वाले बंटवारे को पूरब से पश्चिम की ओर लांइन खेचते हुये बंटवारा कर दिया गया है जिसका कारण मौके पर पक्षकारान अपीलान्ट व रेस्पो० कम 2. ता 6 के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 में खसरा नं. 746 के बंटवारा प्रस्ताव हुयी त्रुटि की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.06.2020 को हल्का पटवारी द्वारा पैमाइश करवाये जाने पर हुयी। जिसके बाद अपीलान्ट व रेस्पो० कम 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सी. पी. सी. दिनांक 22.07.2020 को प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2021 को खारिज करने के उपरान्त अंतिम डिक्री की नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 23.11.2021 को नकल अंतिम डिक्री प्राप्त की। अस्तु नकल अंतिम डिक्री प्राप्त करने से अपील अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर अंतिम डिक्री दिनांक 11.06. 2015 (राजस्व लोक अदालत केम्प सम्बलपुर) निर्णय 19.07.2013 बउनवान मुकदमा सोहन बनाम मोहन वगैराह दावा धारा 53 व 188 आर० टी० एक्ट वाद संख्या 102/2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां, राज० निरस्त फरमाया जाये तथा वाके ग्राम रारोती, तहसील बारां खसरा नं. 746 रकबा 3.75 हैक्टर का पुनः बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार बांरा से अपीलान्ट एवं रेस्पो० कम 1 ता 6 की सहमति अनुसार मंगवाया जाकर पुनः अंतिम डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.06.2020 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व शिविर लोक अदालत ग्राम पंचायत सम्बलपुर में बिना पक्षकारान को सुने पटवार मण्डल सम्बलपुर द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 पारित की गई। बंटवारा प्रस्ताव के नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 746 दर्शाया गया है। जो विवाद का विषय है। तीनों भईयों को बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार हिस्सा 1/3–1/3–1/3 किया है उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जो बंटवारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर किया है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिये था। खसरा नम्बर 728 पानी का धोरा है । धोरे की तरफ से बंटवारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर किया जावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि उनको अपीलांट द्वारा प्रस्तुत व अपील के सन्दर्भ में की गई अभिभाषक अपीलांट की बहस पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमने विद्वान योग्य अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19.07.2013 व अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 को पारित की। अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 746 के बंटवारा प्रस्ताव में संशोधन हेतु धारा 151 व 152 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.10.2021 में अंकन किया है कि तहसीलदार बारां से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पर वादी सोहन, प्रतिवादी मोहन, कैलाशबाई, भंवरलाल वगैरह के हस्ताक्षर किये हुए हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय प्रार्थीगण को बिना सुने व बिना सूचना के तैयार किया गया है। जबकि विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर किये हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पक्षकारान की मौजूदगी में इनकी सहमति के आधार पर किया गया था। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निराधार तथा तथ्यों को छुपाकर पेश किया है। यदि पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव से या अंतिम डिक्री से असंतुष्ट थे तो पक्षकारान को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवार मण्डल सम्बलपुर द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि बंटवारा प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 6 के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी मौजूद है। साथ ही दो गवाहो के रूप में भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी रारोती तथा छीतरलाल पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी सम्बलपुर के हस्ताक्षर मौजूद है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि तीनों भईयों को बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार हिस्सा 1/3–1/3–1/3 किया है उसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जो बंटवारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर किया है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिये था। खसरा नम्बर 728 पानी का धोरा है। धोरे की तरफ से बंटवारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर किया जावें। खसरा नम्बर 728 पानी का धोरा होना बताया है परन्तु इस बाबत भी अभिभाषक अपीलांट ने कोई राजस्व दस्तावेजात जैसे जमाबंदी, नक्शाट्रेस साक्ष्य के रूप में पेश नहीं किये है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खसरा नं. 728 पानी का धोरा है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

बारां के द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 11.06.2015 में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिकी दिनांक 11.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

22/02/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सोहन आयु 70 वर्ष पुत्र श्री रतना, जाति गूर्जर, निवासी रारोती, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 मोहन आयु 72 वर्ष पुत्र रतना, जाति गूर्जर

2 सन्जू आयु 38 वर्ष पुत्र श्री मदन, जाति गूर्जर निवासी रारोती, तहसील बारां, जिला बारां राज0

3 किसकिन्धा आयु 35 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री प्रहलाद, जाति गूर्जर, निवासी रारोती हाल निवासी बाबजी नगर, बारां, तहसील व जिला बारां

4 सावित्री आयु 32 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री धनराज, जाति गूर्जर, निवासी रारोती हाल निवासी मारवाडा बस्ती, बारां, तहसील व जिला बारां

5 मुकलेश आयु 30 वर्ष पुत्री श्री मदन पत्नि श्री मनीष, जाति गूर्जर, निवासी रारोती हाल निवासी बावडीखेडा, तहसील बारां, जिला बारां

6 कैलाशबाई आयु 65 वर्ष बेवा मदनलाल, जाति गूर्जर, निवासी रारोती, तहसील बारां, जिला बारां राज0

7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

अपील नं 2021 / 140
मु.द.नं0 102 / 2013

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – <u>उपखण्ड अधिकारी</u>, बारां
निर्णय व डिक्री दिनांक – **11.06.2015**

<u>दावा बाबत</u>

माह अपील व तारीख **24 माह 01 सन् 2024**

श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **श्री सुरेन्द्र मीणा** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं 1 लगायत 6 की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.06.2015 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **22 माह 02 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)